भूदृश्य एवं उद्यान अनुभाग
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विष्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा0 अरविन्द कुमार
प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष, फल विज्ञान विभाग

पत्रांकः सवप/2026/2565/275
दिनांकः 19.05.2026

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के उद्यान अनुसंधान केन्द्र एवं मुख्य परिसर पर पेड़ों की कटाई छटाई से प्राप्त एवं सूखे पेड़ों की लकड़ी की खुली बोली नीलामी दिनांक 30.05.2026 को सांय 3:00 बजे उद्यान महाविद्यालय में की जायेगी। नीलामी में बोलीदाता को रू0 2000.00/– (रू0 दो हजार मात्रा) धरोहर राशि के रूप में नीलामी से पूर्व जमा करने होंगे। खुली बोली नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार हैं –

1. केता बोली बोलने से पूर्व लकड़ियों का 2:00 बजे से पूर्व भली भॉति निरीक्षण कर लें। नीलामी जहॉ है जैसा है के आधार पर की जायेंगी व बाद मे किसी भी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. समिति की संस्तुति के उपरान्त उच्चतग बोलीदाता के अलावा अन्य बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि नीलामी के पश्चात् वापस कर दी जायेंगी। जबकि उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि रू 2000.00/– (रू0 दो हजार मात्रा) कार्य पूर्ण होने के पश्चात् वापस की जायेगी अथवा समायोजित की जा सकती है।
3. उच्चतम बोलीदाता को समिति की संस्तुति के बाद कुल कीमत की 50 प्रतिशत धनराशि विश्वविद्यालय कार्यालय मे तुरन्त जमा करनी होगी।
4. उच्चतम बोलीदाता को नीलामी की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर शेष धनराशि जमा करने के उपरान्त स्वंय अपने खर्चे पर लकड़ी को अपने साधन से अतिशीघ्र उठाना होगा।
5. बोली स्वीकार करना, न करना या रद्द करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन मे पूर्णतः निहित होगा।
6. किसी भी विवाद पर विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
7. समस्त प्रकार के टैक्स (यदि लागू होते हो तो) आदि केता द्वारा स्वंय देय होंगे।
8. केता द्वारा विश्वविद्यालय सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति पहुॅचाने पर उसे क्षतिपूर्ति हर्जाना देना होगा।
9. अन्य शर्ते नीलामी के समय बता दी जायेंगी।

(अरविन्द कुमार)
अध्यक्ष, सम्बन्धित समिति

प्रतिलिपिः

1. सूचना पट।
2. नोडल अधिकारी आई0टी0 सैल कृपया विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. नोडल अधिकारी सुरक्षा।
4. श्री विकान्त सिरोही, प्रक्षेत्र सहायक व श्री दिनेश कुमार, कनिष्ठ सहायक को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
5. समस्त समिति सदस्य।